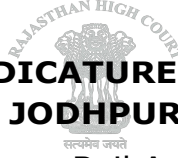




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2533/2026

Chanana Ram Alias Shravan Ram S/o Achlaram, Aged About 22
Years, R/o Ladhaniyo Ka Bera, Balesar Durgawata, District
Jodhpur, Rajasthan (Lodged In Central Jail, Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, Addl. G.A. Mr. Pravin Kumar Choudhary for Complainant

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बालेसर, जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अभिरक्षा में है, आहत के शरीर पर आई सभी चोटें प्राणघातक नहीं है, प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अभिभाषक परिवादी का बहस के दौरान तर्क रहा है कि परिवादी का पुत्र अनिल प्रार्थी/अभियुक्त के पास बकाया पैसे वसूल करने गया था, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त ने अनिल को मारने की नियत से उस पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी



टूट गई। वह लगभग 13 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, आहत के शरीर पर कोई प्राणघातक चोट नहीं आई है। चिकित्सक ने अनिल के शरीर पर आई चोटें भी प्राणघातक नहीं होना बताया है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **चनणाराम उर्फ श्रवणराम पुत्र अचलाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J